प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 05.07.2026

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी व झपटमारी के मामले से सम्बन्धित 04 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार
धोखाधड़ी व झपटमारी से प्राप्त 30,000 रुपये बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप सिंह* व** एसओजी प्रभारी *श्री रजनीश राय* की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 476/2026 धारा 318(4),304(2) बीएनएस थाना धनघटा से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 01. आनन्द उर्फ मुकेश पाल पुत्र श्री रामसनेही निवासी धमनोड़ थाना ककरवई जनपद झांसी 02. गगन यादव पुत्र स्व0 श्रीराम यादव निवासी सिकरीगंज थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर 03. विमल पत्नी राजकुमार निवासनी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा जनपद गोरखपुर 04. अनामिका निषाद पुत्री धर्मदेव निषाद निवासनी सिहापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को धोखाधड़ी व झपटमारी से प्राप्त कुल 30,000 रुपये के साथ बेलहरघाट मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनाँक 04.07.2026 को वादी श्री कामता प्रसाद सिंह पुत्र श्री मातादीन सिंह निवासी झड़ौदा कला, बाबा हरिदास नगर, बाहरी दिल्ली द्वारा थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं गरीब लड़का लड़की की शादी करवाता हूँ, इस सिलसिले में मैं अपने पूर्व परिचित आनंद उर्फ मुकेश पाल निवासी धमनौर थाना ककवई जनपद झांसी के मोबाइल पर बात कर पूछा कि कोई लड़की हो तो बताना तो आनद उर्फ मुकेश ने बताया कि एक लड़की है जिसका नाम अनामिका निषाद है आकर देख लो इसी बात पर मैं दिनांक 02.07.2026 को उमरिया बाजार आकर आनंद उर्फ मुकेश से मिला तो मुकेश ने लड़की अनामिका की बहन विमल से मिलवाया इस पर आनंद उर्फ मुकेश ने कहा कि चलो और घर के लोगों से मिलवा देता हू यह कहकर मुझे सभी लोग रात्रि में औराडाड नदी के किनारे बधे पर ले गए वहा पर गगन यादव मिला सभी लोग मुझसे बात कर रहे थे तभी अचानक सभी मिलकर मेरे हाथ में लिए बैग में रखा 30000रू0 अचानक झपट्टामार कर खींच कर लेकर भाग गए जब मैं कुछ समझ पाता तब तक सभी लोग वहां से भाग गए फिर मैंने 112 पर सूचना दिया और उन लोगों को ढूंढता रहा नहीं मिलने पर दिनांक 04.07.2026 को सूचना देने आया हूं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 476/2026 धारा 318(4),304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

मु0अ0सं0 476/2026 धारा 318(4),304(2) बीएनएस से सम्बन्धित बरामदगी पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

***पुछताछ विवरण*-** गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ करने पर सभी ने बताया कि साहब हम चारो लोग गैंग बनाकर शादी का झांसा देकर घर दिखाने व शादी की और सारी बात करने के लिए सुनसान रास्ते पर ले जाकर पैसे से भरा बैग झपट्टा मारकर ले लेते हैं। हम लोगों का लीडर आनन्द उर्फ मुकेश पाल है जो ग्राहक फसांकर लाता है और हम लोग घटना को अन्जाम देते हैं। आपस मे पैसे को काम के हिसाब से बांट लेते है, इसी पैसे से अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः**-*

- आनन्द उर्फ मुकेश पाल पुत्र श्री रामसनेही निवासी धमनोड़ थाना ककरवई जनपद झांसी।
- गगन यादव पुत्र स्व0 श्रीराम यादव निवासी सिकरीगंज थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।
- विमल पत्नी राजकुमार निवासनी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
- अनामिका निषाद पुत्री धर्मदेव निषाद निवासनी सिहापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- झपटमारी से प्राप्त कुल 30,000 रुपये।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री दिलीप सिंह, उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह यादव, हे0का0 बदरे आलम, का0 रवि चौरसिया, म0हे0का0 इन्द्रावती, म0का0 प्रतिमा यादव।
- एसओजी प्रभारी श्री रजनीश राय, हे0का0 अनूप राय, हे0का0 विवेक राय, का0 दीपक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 अभिषेक सिंह, का0 शुभम सिंह, का0 विवेक मिश्रा।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को थाना बखिरा पुलिस द्वारा करायी गई ₹4,265 की धनराशि वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संचालित **क्रैक साइबर क्राइम अभियान** के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से थाना बखिरा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार एक पीड़ित के खाते में **₹4,265** की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

***घटना का संक्षिप्त विवरण* :**

श्री **रंजीत यादव** निवासी ग्राम परसुइया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के पुत्र के मोबाइल पर दिनांक **11.01.2025** को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर बहला-फुसलाकर **₹13,714** की धनराशि अपने खाते में स्थानांतरित करा ली गई। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा थाना बखिरा की साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी **सुमन कुमारी** द्वारा तत्काल शिकायत पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। साइबर सेल थाना बखिरा की प्रभावी पैरवी एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप पीड़ित के खाते में **₹4,265** की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित एवं उनके परिजनों ने थाना बखिरा पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की।

***कार्यवाही करने वाली टीम* :**

- थानाध्यक्ष बखिरा श्री उमाशंकर त्रिपाठी
- प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री राजेश कुमार
- आरक्षी चन्द्रभान सिंह
- महिला आरक्षी सुमन कुमारी
- महिला आरक्षी अनामिका सिंह

जनता से अपील

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड अथवा यूपीआई पिन साझा न करें।
2. यदि कोई व्यक्ति रिश्तेदार या मित्र बनकर फोन पर धनराशि की मांग करे, तो उसकी पहचान वीडियो कॉल अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से सुनिश्चित करने के बाद ही कोई भुगतान करें।
3. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर अथवा भावनात्मक दबाव बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, इसलिए सदैव सतर्क रहें।
4. किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन की स्थिति में तत्काल **1930** साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 235 वाहनों से 3,63,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

1. आज दिनाँक 05.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 235 वाहनों से 3,63,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 347/2026 धारा 109, 115(2), 61(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता गोरखनाथ पुत्र हरिभजन साकिन औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 05.07.2026 को सोनबरसा जनपद गोरखपुर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 30.05.2026 को वादी श्री शेषनाथ कसौधन पुत्र हरिभजन कसौधन निवासी औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दिया गया कि दिनाँक 29.05.2026 को जब प्रार्थी का भाई मारखण्डे दुकानों पर सामान देकर घर वापस आ रहे थे कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पुरानी पट्टीदारी की रंजिस को लेकर योजना बनाकर जान से मारने के नियत से रास्ते मे ग्राम बजरा व तिघरा के बीच अपने साथियों के साथ हाथ मे कुल्हाड़ी लोहे का राड़ व डण्डा लेकर बैठे थे। जैसे ही मेरा भाई मारखण्डे मोटर साइकिल से वहाँ पहुचे सभी लोगो ने घेर लिया और जान से मारने की नियत से लोहे के राड व कुल्हाड़ी से अचानक हमला कर दिये, जिससे मारखण्डे के सिर में तथा पूरे शरीर मे काफी गंभीर चोटे आयी तथा मारखण्डे वही मौके पर ही गिर गये, मरा हुआ समझकर उपरोक्त लोग मौके से भाग गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 05.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

01- उ0नि0 श्री रबिन्द्र सिंह यादव, का0 जितेन्द्र यादव, म0का0 नेहा दूबे।